



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072020-220649
CG-DL-E-23072020-220649

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2135]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2020/श्रावण 1, 1942

No. 2135]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2020/SHRAVANA 1, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2020

का.आ. 2420(अ).—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजि बैंक) के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री डेविड रस्कीना के कार्यकाल को दिनांक 16.8.2020 से उनके 60 वर्ष की आयु होने तक अर्थात् 31.5.2021 तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने को अनुमोदित करती है।

[फा. सं. 3/1/2020-आईएफ-1]

आनंद मधुकर, ओएसडी (संयुक्त सचिव स्तर)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2020

S.O. 2420(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government has approved extension of tenure of Shri David Rasquinha, Managing Director (MD), Export-Import Bank of India (Exim Bank) with effect from 16.08.2020 and till he attains 60 years of age i.e. till 31.05.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No.3/1/2020-IF-I]

ANAND MADHUKAR, OSD (Jt. Secy. Level)